



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230656
CG-DL-E-23102021-230656

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]
No. 498]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/61/15-डीडी/06/आईएनएफ/16-डीसी/729/2017.— चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. किशोर पुरुषोत्तम जोशी (सदस्यता संख्या 034760), 607, शारदा चेम्बर्स, न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई 400 020 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. किशोर पुरुषोत्तम जोशी (सदस्यता संख्या 034760) के नाम को 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. किशोर पुरुषोत्तम जोशी (सदस्यता संख्या 034760) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./362/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/61/15-DD/06/INF/16-DC/729/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Kishor Purushottam Joshi (Membership No. 034760), 607, Sharda Chambers, New Marine Lines, MUMBAI 400 020**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (7) & (9) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Kishor Purushottam Joshi (Membership No. 034760)**, from the Register of Members for a period of 05(Five) years. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Kishor Purushottam Joshi (Membership No. 034760)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 05(Five) years with effect from 22nd October, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./362/2021-22]